



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092020-221834
CG-DL-E-19092020-221834

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2845]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942

No. 2845]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3193(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1441 (अ), तारीख 11 मई 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के सुपौल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH327A के (सुपौल-भपटियाही खण्ड) के कि.मी. 0.00 से कि.मी.1.00 तक के भू-खण्ड पर ROB के (ROB के निर्माण/पथ चौड़ीकरण आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "09 जून 2020 " को "दैनिक भास्कर" और "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" में प्रकाशित किया गया था ;

और शून्य आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल, बिहार की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के सुपौल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327A (सुपौल-भपटियाही खण्ड) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 1.00 के अन्तर्गत संचरना सहित अथवा संचरना रहित भू-अर्जन की जानेवाली भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: सुपौल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सुपौल				
	गांव का नाम: गोरवगढ़				
1	1953	निजी	व्यावसायिक	0.0018	राजनारायण चौधरी पे०- किशोरी चौधरी वार्ड न०-04 वो सूर्य नारायण चौधरी पे०-किशोरी चौधरी (१९५३)
2	1954	निजी	व्यावसायिक	0.0105	रंजन ठाकुर, अरविन्दे ठाकुर पे०-वलेन्द्र नारायण ठाकुर वो दीपक ठाकुर पे०-स्व० महेंद्र नारायण ठाकुर वो धीरेन्द्र नारायण ठाकुर पे०-सूर्य नारायण ठाकुर (1954)
3	1954/4771	निजी	व्यावसायिक	0.0016	रंजन ठाकुर वो अरविन्दे ठाकुर पे०-वलेन्द्र नारायण ठाकुर वो दीपक ठाकुर पे०- स्व० महेंद्र नारायण ठाकुर वो धीरेन्द्र नारायण ठाकुर पे०- स्व० सूर्य नारायण ठाकुर (१९५४/४७७१)
4	2265	निजी	व्यावसायिक	0.0023	रामेस्वर साह वो कामेश्वर साह वो प्रदीप साह पे०- स्व० बलदेव साह (2265)
5	2319	निजी	आवासीय	0.001	सरकारी पक्का नाला

					(2319)
6	2327	निजी	आवासीय	0.0001	अवध रानी देवी पति- लक्ष्मण चौधरी (2327)
7	2328	निजी	आवासीय	0.0011	रामप्रसाद यादव वगैरह (2328)
8	2339	निजी	आवासीय	0.0001	सुधीर कुमार वो पवन कुमार पे०- महेन्द्र यादव निवासी-लौकहा, थाना राघोपुर (2339)
9	2355	सरकारी	भूमि खली है	0.0012	सरकारी (2355)
10	2356	सरकारी	भूमि खली है	0.0036	सरकारी (2356)
11	2359	निजी	आवासीय	0.0002	विधुत विभाग (2359)
12	2374	सरकारी	भूमि खली है	0.0033	विधुत विभाग (2374)
			कुल	0.0268	

[फा. सं. RW/PAT/NH-327E/KM194/ROB/LA/2019-20/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3193(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1441(E) dated 11th May, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of ROB (Construction of ROB / Lane widening, etc.), maintenance, management and operation of **National Highway No. 327A, in the stretch of land from km 0.00 to km 1.00 (Supaul- Bhatiyahi Section) in the district of Supaul, in the State of Bihar.**

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “The Times of India” dated 09th June, 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas Zero objection have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, namely, the **District Land Acquisition Officer, Supaul**, Bihar, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0.00 to Km. 1.00 (Supaul - Bhapatiyahi Section) of National Highway No. 327A in the district of Supaul, in the State of Bihar.

State: BIHAR		District: SUPAUL			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Supaul				
	Village: Gauravgarh				
1	1953	Private	Commercial	0.0018	Rajnarayan Chaudhary S/o-Kishori Chaudhry Ward No-04 & Surya Narayan Chaudhary S/o-Kishori Chaudhary 1953
2	1954	Private	Commercial	0.0105	Ranjan Thakur, Arvinde Thakur S/o-Valendra Narayan Thakur & Deepak Thakur S/o- Lt. Mahendra Narayan Thakur & Dharendra Narayan Thakur S/o-Lt. Surya Narayan Thakur 1954
3	1954/4771	Private	Commercial	0.0016	Ranjan Thakur, Arvinde Thakur S/o-Valendra Narayan Thakur & Deepak Thakur S/o- Lt. Mahendra Narayan Thakur & Dharendra Narayan Thakur S/o-Lt. Surya Narayan Thakur 1954/4771
4	2265	Private	Commercial	0.0023	Rameshwar Sah, Kameshwar Sah & Pardeep Sah S/o- Baldev Sah 2265
5	2319	Private	Residential	0.001	Government Pakka Nala 2319
6	2327	Private	Residential	0.0001	Abadh Rani Devi W/o- Laxman Choudhary 2327
7	2328	Private	Residential	0.0011	Ramprasad Yadav Etc... 2328
8	2339	Private	Residential	0.0001	Sudheer Kumar & Pawan Kumar S/o-Mahendra Yadav Niwasi-Laukha, Thana - Raghopur 2339
9	2355	Government	evacuated	0.0012	Government

					2355
10	2356	Government	evacuated	0.0036	Government 2356
11	2359	Private	Residential	0.0002	Electricity vibhag 2359
12	2374	Government	evacuated	0.0033	Electricity vibhag 2374
			TOTAL	0.0268	

[F. No. RW/PAT/NH-327E/KM194/ROB/LA/2019-20/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.